न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी, जिला

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्याः– 100/2013
तारीख निर्णयः– 18/08/2020

वादी–

डुंगरसिंह पुत्र जगन्नाथ जी जाति–राजपुरोहित निवासी–मादा तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण–

1. अध्यक्ष, नगरपालिका सादडी, तहसील–देसूरी जिला–पाली राजस्थान
2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सादडी तहसील–देसूरी जिला–पाली राजस्थान

–: वाद अन्तर्गत धारा–92ए राज0 काश्त0 अधिनियम 1955:–

–: आदेश :– **दिनांक– 18/08/2020**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा– 92ए राज0 काश्त0 अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि– मौजा सरहद कस्बा सादडी 1 तहसील–देसूरी की सीमा क्षेत्र के पुराने खसरा नम्बर 408/2 रकबा 16 बिघा 7 बिस्वा, चाही द्वितीय की कृषि भूमि रही जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 3195 रकबा 0.2200 खसरा नम्बर 3196 रकबा 0.2200 हैक्टर, 3197 रकबा 0.0900 हैक्टर खसरा नम्बर 3198 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा नम्बर 3199 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नम्बर 3200 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नम्बर 3203 रकबा 0.7200 हैक्टर, कुल खसरा नम्बर 7 कुल रकबा 2.6300 हैक्टर, किस्म चाही, लगान 96.56 रूपये की स्थित कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी अधिकार की विद्यमान है।

वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्सा के मूल खातेदार रहे नेमाराम पुत्र चिमनाजी माली ने वादग्रस्त आराजी में निहित तमाम 1/4 हिस्सा के खातेदारी हक अधिकार दिनांक 23.12.1985 को प्रतिवादी संख्या भंवरीदेवी , जगदीश, मांगीलाल व अन्यों को सयुक्त 1/2 हिस्सा और अपने पुत्रों रताराम, ताराचन्द, कपुरचन्द, हिम्मत, लसाराम एवं पुत्री चम्पा को 1/2 हिस्सा बराबर बराबर हस्तांतरित की गई।

वादग्रस्त आराजी में नेमाराम को निहित 1/4 हिस्सा में से रताराम द्वारा 1/10 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण आराजी में 1/40 हिस्सा के खातेदारी हक अधिकार क्रय किये गये

पेज लगातार 02 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

थें जो रताराम द्वारा खातेदारी हक अधिकार वादी और मानसिंह पुत्र गजराजसिंह भदौरियां, शैतानसिंह पुत्र गोवरधनसिंह भाटी, रामनाथ मगल पुत्र हीरालाल, रमन पुत्र चुन्नीलाल जैन को सयुक्त बहिस्सा बराबर बराबर दिनांक 02.01.1987 को विक्रय किया गया।

वाद पद संख्या एक में वर्णित विवादग्रस्त आराजी में से पट्टा प्राप्त करने के लिये ज्ञानवती पत्नी मानसिंह भादोरियां जाति–राजपूत निवासी–सादडी, दिनेश चारण पुत्र मोहनसिंह जी जाति–चारण निवासी–इटन्दरा चारणान तहसील–रानी, सुरजभान पुत्र गजराजसिंह जाति–राजपूत निवासी–सादडी ने एक एक प्रार्थना पत्र माननीय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसकी एक तरफा सुनवाई करते हुए दिनांक 22.06.2006 को निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्रों में वर्णित वादग्रस्त आराजी के भू–भाग को धारा 90 बी के तहत नामांतरकरण स्थायी निकाय के नाम करने का आदेश दिये गये थे। जिससे व्यथित होकर वादी ने श्रीमान संभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। जहॉ से आदेश दिनांक 22.06.2006 को निरस्त कर पत्रावली रिमांड की गई थी। जिसकी पालना में सभी पक्षों को नोटिस/सम्मन दिया जाकर बाद सुनवाई के माननीय प्राधिकारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी द्वारा निर्णय दिनांक 23.06.2009 को निर्णय दिया जाकर वादग्रस्त आराजी का विभाजन नही होने से धारा 90 बी में ज्ञानवती, सुरजभान, दिनेशसिंह के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को खारिज किया गया। माननीय प्राधिकारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी के निर्णय दिनांक 23.03.2009 को किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी गई है जो आज भी प्रभावी है।

वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के विभाजन का वाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो वाद संख्या 17/2011 बअनुवान डुंगरसिंह बनाम कमलेश वगैरा विचाराधीन है। विभिन्न न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय के बावजुद इसके प्रतिवादीगण नही मान रहे है और प्रतिवादीगण माननीय न्यायालयों की अवहेलना करते हुए पट्टा के लिये आवेदन प्रसतुत करने वाले ज्ञानवती, सुरजभान, दिनेशसिंह के प्रार्थना पत्रों के लिये आवेदन को स्वीकार कर पट्टे जारी करने की धमकियां दे रहे है, वादी दिनांक 03.09.2013 को प्रतिवादीगण के कार्यालय में पत्रावली के संबंध में चर्चा करने के लिए गया तो पुनः उपरोक्त धमकिया को दोहराया गया जिससे वादीगण के पास निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने के अलावा और कोई सहारा नही होने से प्रतिवादी को विधि विरूद्ध कार्य करने से रोकने इत्यादी बाबत् वाद अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं [illegible] की तलबी की गई। बाद तलबी के प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर [illegible] वर्णित खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:30 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

नम्बर मौके पर कृषि भूमि नही है। वादी ने न्यायालय के समक्ष वाद वास्तविक मौका स्थिति से भिन्न पेश किया है। वादग्रस्त आराजी का 1/40 वां हिस्सा का उपयोग क्रेतागण ने वक्त खरीद से आज तक किस प्रकार किया तथा आज की मौका स्थिति कैसी है एवम् इस पद में रिकोर्ड, मौका स्थिति क्या है, वर्णित नहीं की है। पूर्व में स्वयं वादी ने प्रतिवादी स्थानीय निकाय में क्या–क्या, कैसे कार्यवाही की है, जो भी इस वाद में वादी ने छुपाया है। प्रतिवादी स्थानीय निकाय ने कोई एक पक्षीय कार्यवाही नहीं की है। प्रतिवादी स्थानीय निकाय ने समय समय पर वादी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। श्रीमान सम्भागीय आयुक्त महोदय जोधपुर द्वारा एवं अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना में ही नियमानुसार कार्यवाही प्रतिवादी स्थानीय निकाय ने की है। विधि के सिद्धान्तों के अनुसार ही किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा की जानी वाली विधिक कार्यवाही को निषेधाज्ञा से रोका नहीं जा सकता है। जिससे बावजूद वादी बार–बार गलत कार्यवाही कर रहा है।

यह गलत है कि वादग्रस्त आराजी मौके पर अविभाजित हो। वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित नही है तथा न ही इसका प्रयोजन कृषि भूमि है। वादी के बंटवाडा का वाद की कार्यवाही गलत है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा या आधिपत्य नहीं है। जिसके बावजूद वादी ने गलत वाद पेश किया है जिससे किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी करने का कोई औचित्य नही है।

वादग्रस्त आराजी मौका पर कृषि भूमि नहीं है। बल्कि मौके पर आवासीय कॉलोनी अटोकजी बास के नाम से स्थित है। जो कस्बा सादडी की आबादी का भाग है। जिससे वाद श्रीमान के क्षेत्राधिकार का नही है।

पत्रावली बहस में नियत की गई तथा बहस से पूर्व प्रतिवादी नगरपालिका सादडी से वादग्रस्त आराजी के सबंध मे नगरपालिका सादडी द्वारा जरिये पत्रावली संख्या/2012–13/101 दिनांक 11.01.2013 को पारित आदेश व इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 2889 दिनांक 31.08.2016 के द्वारा वादग्रस्त आराजी नगरपालिका के नाम राजस्व रिकोर्ड में नगरपालिका के खाते में दर्ज किया जाने के संबंध में प्रतिलिपियॉ वास्ते परीक्षण हेतु न्यायालय द्वारा मंगवाई गई।

इसके पश्चात् वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 10 नियम 1,2 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। जिसकी जबाव वकील प्रतिवादी द्वारा दिया गया।

न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्ताबेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा 3195 रकबा 0.2200 खसरा नम्बर 3196 रकबा 0.2200 हैक्टर, 3197 रकबा 0.0900 हैक्टर खसरा नम्बर 3198 रकबा 0.1500 हैक्टर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:30 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर....

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

खसरा नम्बर 3199 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नम्बर 3200 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नम्बर 3203 रकबा 0.7200 हैक्टर, कुल खसरा नम्बर 7 कुल रकबा 2.6300 हैक्टर, किस्म चाही, लगान 96.56 रूपये का 1/40 वां हिस्सा प्रार्थी/वादी डुंगरसिंह, मानसिंह, शैतानसिंह, रामनाथ मंगल, रमन जैन 5 व्यक्तियों के खरीदना वर्णित किया, यानि 16.5 बीघा में 1/40 वा हिस्सा अर्थात 283090 वर्ग फीट में से 7155 वर्ग फीट खरीदना बताया। स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी तत्समय भी छोटे छोटे भू–खण्डो में विभक्त थी।

वादग्रस्त आराजी के कुल 7 खसरे रकबा 2.63 हैक्टर में से 5 खसरे रकबा 1.65 हैक्टर नगरपालिका के नामे होकर किस्म भी कृषि भूमि से आवासीय भूमि हो चुकी है। जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। उक्त संपूर्ण वादग्रस्त आराजी के कौनसे हिस्से पर प्रार्थी का स्थापित कब्जा है यह भी प्रार्थी/ वादी द्वारा कहीं भी वर्णित नही किया गया है।

अतः चूंकि मौके पर सभी 7 खसरे कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि में उपयोग हो रहा है एवं 5 खसरे किस्म परिवर्तन होकर नगरपालिका के नामे हो चुके है। अतः राजस्व न्यायालय की अधिकारिता आबादी भूमि के संबंध में नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 92ए में केवल निषेधाज्ञा के बारे में प्रावधान दिये गये है। आबादी भूमि के संबधं में इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का अनुतोष दिया जाना राजस्व न्यायालय की अधिकारिता नही है। अतः उक्त धारा 92ए अन्तर्गत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक–18/08/2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:30 IST
Reason: SelfAttested